9479191334

Date: 16/06/2025

शिकायत पत्र

(अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत)

प्रति,

थाना प्रभारी महोदय(अजाक थाना),

थाना- **जांजगीर**

जिला- जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)।

विषय: मेरे घर के बाहर अपने गुर्गों के साथ मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश, गाँव से निकालने की धमकी, घर नीलाम करने की धमकी, मेरे साथ हाथापाई एवं मारपीट करने वालों के विरुद्ध शिकायत – अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु।

महोदय,

मैं, **सतीश कुमार घोसले, पिता श्री उदेराम घोसले, निवासी नवगँवा, पोस्ट- पोंच, थाना- बलौदा, जिला- जांजगीर चांपा, जाति सूर्यवंशी (अनुसूचित जाति)**, इस पत्र के माध्यम से अत्यंत दुख और भय के साथ अपनी आपबीती आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

सरपंचपति परमानंद राठौर द्वारा ग्राम - नवगँवा के मुख्य मार्ग पर एक छोटे से 20 फीट के सीसी रोड मरम्मत के नाम पर दोनों ओर से ट्रैक्टर खड़ा करके रास्ता पूर्णतः सप्ताह भर के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था। यह रास्ता गाँव का एकमात्र चार पहिया वाहनों का मार्ग है, जिससे सभी को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

दिनांक 14 जून 2025 को शाम में सरपंचपति से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी बीच सड़क में साइड माँगने के विषय पर गाँव में कहीं बाहर से आए एक व्यक्ति के साथ, जो कि गाँव का ही दमाद था, के साथ मेरी कहा-सुनी हुई। उसके बाद सरपंचपति परमानंद राठौर अपने गुर्गों को एकत्र कर **रात्रि 9:00 बजे** के लगभग 8-10 अन्य साथियों के साथ मेरे घर के सामने पहुँचे। जब मैंने उनसे निवेदनपूर्वक पूछा कि मार्ग कब तक बंद रहेगा, तब उन्होंने हमारे जाति के दमाद के साथ बदतमीजी किया और "छोटी जाति का होकर" कहते हुए अत्यंत आक्रोशित हो गए और गाली-गलौच करने लगे। और कहा:

"मेरा गाँव है, मेरा रोड है, मेरी मर्जी जब तक बंद करूँगा, किसमें इतनी हिम्मत है मुझे बोलने की"

यह कहते हुए परमानंद और उसके गुर्गे मेरे पूरे परिवार पर आक्रामक हो गए जिसे देखकर मेरे घर की महिलाएं और बच्चे सब रोने-बिलखने लगे।फिर वे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोले:

"साले हरिजन, चमार! तेरे कहने से मैं काम करूँगा क्या? जब मन करेगा तभी रास्ता खोलूँगा!"

तत्पश्चात, उनके और 10–12 सहयोगी वहाँ उपस्थित हो गए, जो सामूहिक रूप से मेरे प्रति जातिगत अपमान, धमकी और शारीरिक हमला करने का प्रयास करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं अपने घर में महिलाओं एवं छोटे बच्चों की सुरक्षा हेतु दरवाज़ा बंद कर अंदर चला गया।

रात्रि लगभग 10:30 बजे तक, वे मेरे घर के बाहर खड़े रहकर **"नीच जाति"** कहकर अपमानित करते रहे और बोले: **"कल तुझे मार डालूँगा! तू मुझे फिर दिख मत जाना!"** घटना के कुछ अंश मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए, परंतु वे लोग लगातार फोन छीनने का प्रयास कर रहे थे, जिससे संपूर्ण घटना रिकॉर्ड नहीं हो सकी।

अगले दिन 15 जून 2025, जो कि ग्राम में बाजार दिवस होता है, शाम के समय लगभग 6 बजे के आसपास मैं अपने घर के बाहर बैठा था, तभी सरपंचपति का एक सहयोगी आया और जातिसूचक गाली देते हुए बोला: **"अब तेरा मर्डर ही होगा"**
जब मैंने विरोध किया, तो उसने सरपंचपति परमानंद राठौर को फोन करके बुला लिया। कुछ ही देर में परमानंद राठौर और उसके 8–10 गुंडे मेरे घर के सामने इकट्ठा हो गए और पुनः गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, और डराने-धमकाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा:
"आज रात तुझे उठा लेंगे, या कल सड़क हादसे में तुझे मरवा देंगे!"

मैंने भयभीत होकर आपातकालीन सेवा 112 पर रात्रि 7:07 बजे कॉल किया, जहाँ मुझे शीघ्र सहायता भेजने का आश्वासन मिला, परंतु रात्रि 8 बजे तक कोई पुलिस सहायता नहीं पहुँची। इसके पश्चात एक पुलिसकर्मी का रात्रि 8 बजे फोन आया (मोबाइल नंबर: 6262037166) जिन्होंने बताया कि वे किसी अन्य मामले में व्यस्त थे और कहा कि अब भीड़ तो चली गई है, फिर से कुछ हो तो कॉल कर लीजिए।

महोदय, मैं और मेरा परिवार विगत दो दिनों से अत्यंत मानसिक तनाव एवं भय की स्थिति में हैं। सरपंचपति परमानंद राठौर एवं उनके सहयोगियों द्वारा तरह-तरह की हरकतें व बातें करके मुझे व मेरे परिवार को अलग-अलग तरीकों से डराने की कोशिश की जा रही है।

अगर मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ अनहोनी घटित होती है तो उसका जिम्मेदार सरपंचपति परमानन्द राठौर ही होगा।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि:

1. **श्री परमानंद राठौर एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।**
2. **मुझे एवं मेरे परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे हम भयमुक्त जीवन जी सकें।**

भवदीय,
सतीश कुमार घोसले 16/06/25
पता: ग्राम- **नवगँवा**, थाना- बलौदा, जिला- जांजगीर चांपा
मोबाइल: +91-8920905659
दिनांक: 16 जून 2025